राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस)

प्रकरण सख्या :– 183/2025 दायर दिनांक :– 2.12.2025

जीसीएमएस नं. –2025/183 निर्णय दिनांक :– 2.12.2025

''ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेंर रोड, जयपुर में स्थित व कार्यरत हैं।

(प्रार्थी)

बनाम्

1. श्री अंकित कुमार सिंह पिता श्री राघव प्रताप सिंह, निवासी–घाटी रोड फोज का बडला, डूंगरपुर
2. श्रीमति उषा देवी पत्नि श्री राधव प्रसाद सिंह, निवासी–घाटी रोड फोज का बडला, डूंगरपुर
3. श्री राघव प्रसाद सिंह पिता श्री ह्रदय नारायण सिंह, निवासी–घाटी रोड फोज का बडला, डूंगरपुर

(अप्रार्थीगण)

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

–:: आदेश ::–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, ने अप्रार्थी को दिनांक 31.10.2023 को रू.3,20,000/–अक्षरे तीन लाख बीस हजार रूपये ऋण सुविधा नगद उधार ऋण के रूप में दी थी। जिसके पुर्नभुगतान हेतु प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, ने अप्रार्थी की सम्पति रहन रखी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–आवासीय भूखण्ड संख्या 173, वसुन्दरा विहार आवासीय योजना, नगर परिषद पत्र क्रमांक 2017–18/2187, दिनांक 12.08.2017 डूंगरपुर जिला डूंगरपुर जिसमें भूमि, भवन एंव ढांचा आदि जो भी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका कुलिया माप 800 वर्गफिट हैं, जिसके सम्बन्धित दस्तावेज जिसके पूर्व में आवसीय भुखण्ड 182, पश्चिम में कॉलोनी रोड 30 फीट, उत्तर में आवासीय भुखण्ड 172, दक्षिण में आवसीय भुखण्ड 174 स्थित हैं। अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से उक्त ऋण भुगतान नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 08.06.2025 को डिफाल्टर (एन.पी.ए) घोषित किया गया। कुल बकाया रूपये 2,24,856/– दिनांक 12.06.2025 तक व दिनांक 12.06.2025 के आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे बकाया निकलते है। उक्त ऋण खाता दिनांक 08.06.2025 को डिफाल्टर घोषित होने से ऋणी को दिनांक 17.06.2025 को नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई व न ही बन्धकशुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, को दिया गया। प्रार्थी अप्रार्थी से जब तक सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नही हो जाता तब तक बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे सहित प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, नें उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी को सभंलवाने के लिये प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया की अप्रार्थी ने उसके खाते में देय राशि मय ब्याज के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी राशि प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, को जमा नही कराई है। उक्त अधिनियम धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, के पास उक्त रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कब्जा प्रार्थी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश जारी करनें की मांग की। अप्रार्थीगण उपस्थित नही है और उन्हें नियमानुसार सुने जाने की आवश्यकता भी नही है, क्योंकी यहा से कोई न्यायिक निर्णय नही किया जाना हैं।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

मेने वकिल प्रार्थी के बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी की सम्पति को ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, के पास रहन रखकर दिनांक 31.10.2023 को रूपया 3,20,000/- ऋण प्राप्त किया गया था। अप्रार्थी ने उक्त ऋण भुगतान नही चुकाया जिसकी वजह से उक्त दिनांक 08.06.2025 को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी के ऋण खाते में रूपया 2,24,856/-रूपये दिनांक 12.06.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है। उक्त ऋण का खाता डिफाल्टर घोषित होने के कारण इस एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, ने ऋणी (अप्रार्थी) को दिनांक 17.06.2025 को नोटिस प्रेषित किया, जिसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई व न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, को दिया गया। अप्रार्थी द्वारा ऋण की सुरक्षा के एवज में बधंक के रूप में रखी गई सम्पति का कब्जा प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, को दिलवाया जाना आवश्यक हैं।

अतः प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी से नियमित रूप से राशि जमा करवाने हेतु प्रयास किये गये तथा डिफाल्टर घोषित कर सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत ऋणी को नोटिस जारी किया गया, किन्तु ऋणी द्वारा बावजूद नोटिस के अपेक्षित राशि जमा नही कराई गई। दी सिक्यूरीटाइजेशन एण्ड रिकंन्शट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल ऐसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14(2) की प्रदत्त शक्तियों के तहत ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, को बन्धक रखी सम्पति आवासीय भूखण्ड 173, वसुन्दरा विहार आवासीय योजना, नगर परिषद पत्र क्रमांक 2017-18/2187, दिनांक 12.08.2017 डूंगरपुर जिला डूंगरपुर जिसमें भूमि, भवन एंव ढांचा आदि जो भी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका कुलिया माप 800 वर्गफिट हैं, जिसको अप्रार्थी सें प्राप्त करने जरिये पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर प्रार्थी " ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, को सम्भलायें जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय की प्रति विपक्षी ऋणी को उपलब्ध कराने की तिथि से 30 दिवस की अवधि तक अपेक्षित राशि जमा कराने का अवसर दिया जावे। विपक्षीगण ऋणी द्वारा यदि 30 दिवस में भी अपेक्षित राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में उक्त आदेश की कियान्विति की जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक डुंगरपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती हैं ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर आदेश आज दिनांक 2/12/25 को सुनाया जाकर पत्रावली फैसल में शुमार हो।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राजस्थान)